



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 14/2025/D-76

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261555 दिनांक 13/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Maya Devi Sharma W/o Narendra Sharma	श्रीमती जावित्री शर्मा पत्नी श्री एल. आर. शर्मा	148	152.77 SQ. YARD	Private	ASHADEEP GREENS Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी योजना आशा दीप ग्रीन्स के भू सं. 148 क्षेत्रफल 152.77 व.ग. की लीजडीड क्रमांक 1538 दिनांक 21.03.12 द्वारा श्रीमती जावित्री शर्मा पत्नी श्री एल. आर. शर्मा, लीजधारिका श्रीमती जावित्री शर्मा पत्नी श्री एल. आर. शर्मा की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.03.20, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 02.09.21, 10.10.23, 15.05.24, 07.08.25 आशा दीप ग्रीन्स के भू सं. 148 क्षेत्रफल 152.77 व.ग. में से भू सं. 148(दक्षिण भाग)क्षेत्रफल 101.85 व.ग. का उप विभाजन के नाम हस्तान्तरण/उप विभाजन हेतु



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Maya Devi Sharma W/o Narendra Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।